-1-

न्यायालय श्री मान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक R-1491-II/2010 सन 2010

1- जगदीश चन्द्र तनय ओम प्रकाश अग्रवाल

2- विपिन चन्द्र तनय ओम प्रकाश अग्रवाल

निवासी गण नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0 ——निगरानीकर्तागण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ——प्रत्यार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता

निगरानी अधीनस्त न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 272/बी-12/09-10 मे पारित आर्डरसीट दिनांक 9.7.10 के विरूद्ध

महोदय,

निगरानी कर्तागण की निम्न लिखित विनय है:-

1- यह कि निगरानी कर्तागणो व्दारा मूल प्रकरण क्रमांक 75/अ-2/05-06 मे पारित आदेश दिनांक 22/2/06 के विरूद्ध अपर कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक न्यायालय मे प्रकरण किया था जो निगरानी प्रकरण क्रमांक 90/बी-121/07-08 मे पारित आर्डरसीट दिनांक 20/8/09 को अदम पैरवी मे खारिज कर दी थी जिसके विरूद्ध श्री मान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर (कैम्प छतरपुर) के न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत की थी जिसे निरस्त कर दिया गया है जिससे दुखी होकर निगरानीकर्ता व्दारा श्री मान के समक्ष उक्त निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है ।

::- निगरानी के आधार::-

2- यह कि योग्य अधीनस्त न्यायालय ने अधिवक्ता की त्रुटि को पक्षकार की त्रुटि मानकर निगरानी निरस्त करने मे प्रक्रियात्मक त्रुटि की है जिस कारण उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है ।

3- यह कि अधीनस्त न्यायालय व्दारा अपर कलेक्टर के न्यायालय के आदेश मे कोई त्रुटि नही मानकर निगरानी कर्ता की निगरानी मानकर निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त करने मे वैधानिक त्रुटि की है क्योकि अपर कलेक्टर छतरपुर के

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1491–दो/10 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 272/बी–121/09–10 में पारित आदेश दिनांक 9–7–10 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अधीक्षक, भू–अभिलेख छतरपुर एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक के विरूद्ध नगर नौगांव खसरा नं. 1243 हैक्टर में से 0.835 एवं 1244/1 रकबा 1.560 हैक्टर भूमि व्यवसायिक प्रयोजन से परिवर्तित कर लेना और पुर्ननिर्धारण न कराने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 75/अ–2/2005–06 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 22–2–06 द्वारा संहिता की धारा 59(2) के अनुसार व्यवसायिक पुर्ननिर्धारण 39,330/– वर्ष 2000–01 से देय एवं संहिता की धारा 59(5) के अनुसार व्यवसायिक प्रीमियम 1,45,668/– निर्धारित किया साथ ही बिना अनुमति भू–परिवर्तन कर लिए जाने से संहिता की धारा 172 (4) के तहत दो हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर के न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने दिनांक 19–1–07 को यह मानकर कि आवेदक अभि0 दिनांक 15–11–06 से लगातार अनुपस्थित हैं, अदम पैरवी में खारिज	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष पुर्नस्थापन आवेदन प्रस्तुत किया गया जो उन्होंने आदेश दिनांक 20–8–09 द्वारा निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जलो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 9–7–10 द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने अधिवक्ता नियुक्त कर दिए गए थे, अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है, अधिवक्ता द्वारा उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई अतः अधिवक्ता की त्रुटि के कारण आवेदक को दंडित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा इस संबंध में उनके द्वारा 2004(2) एम.पी. एस.टी. 9 यशवंत साहू विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य का न्यायदृष्टांत पेश किया है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि आवेदकगण की भूमि खसरा नं. 1242/1 एवं 1243 एवं 1244/1 के भूमिस्वामी हैं उक्त खसरा नंबरों की भूमि में से रकबा 80000 वर्गफुट भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन दिनांक 25–10–2000 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया गया है । वर्ष 2003 में संहिता की धारा 172 में हुए संशोधन के फलस्वरूप म0प्र0 शासन द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग निर्माण/स्थापित करने के लिए डायवर्जन की अनुज्ञा लेने से छूट प्रदान की गई है और

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1491–दो/10 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी को केवल सूचना देना पर्याप्त माना गया है, इसी परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा दिनांक 27–6–2003 को अनुविभागीय अधिकारी को सूचना दी गई थी कि वे अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 1242/1, 1242/2/2, 1243 एवं 1244/1 में उद्योग स्थापित/निर्माण कर रहे हैं । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तथ्य को अनदेखा किया है । यह भी तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि उद्योग की स्थापना मात्र 70000 वर्गफुट में हुई है जबकि आवेदक द्वारा 80000 वर्गफुट का डायवर्सन पूर्व में कराया जा चुका था । यह तर्क भी दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह आधार भी लिया गया है कि आवेदक ने नगर निवेश का अनुमोदित अभिन्यास एवं पर्यावरण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए प्रश्नगत क्षेत्रफल संहिता की धारा 172(1) के तहत अनुज्ञेय नहीं है, इस संबंध में कहा गया कि उक्त निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आवेदक द्वारा सभी दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश किए गए थे । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी	

 निगरानी 1491/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । न्यायदृष्टांत 2004(2) एम.पी.एच.टी. 79 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभिभाषक की भूल का खामयाजा पक्षकार को नहीं उठाने दिया जायेगा इस प्रकरण में भी यही स्थिति है । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में जहां तक प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त करने का प्रश्न है, उक्त आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता । 6/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 1242/1, 1243, 1244/1 के कुछ भाग का व्यपवर्तन प्रकरण कमांक 20/अ-2/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2001 को किया गया है । इस व्यपवर्तन आदेश का लेख करते हुए राजस्व निरीक्षक एवं अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा वर्ष 2005 में अनुविभागीय अधिकारी को उक्त सर्वे नंबरों की भूमियों की भूमि का निर्धारण पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी नेदिनांक 22-2-06 को पूर्व तिथि से ही भूमि का व्यपवर्तन का आदेश पुनरीक्षित किया है, जो न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है आवेदक द्वारा शेष भूमि का व्यवसायिक उपयोग कब से किया गया है, यह प्रतिवेदन में उल्लिखित नहीं है । इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि म0प्र0 शासन द्वारा	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1491–दो/10 **जिला – जबलपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	म0प्र0 राजपत्र दिनांक 3 मई 2003 द्वारा संहिता की धारा 172 में संशोधन करते हुए दूसरा परंतुक प्रतिस्थापित किया गया है जो निम्नानुसार है :– " परंतु यह भी कि यदि किसी ऐसा भूमि का जो कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई है भूमिस्वामी अपील भूमि या उसके किसी भाग को उद्योग के प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है और ऐसी भूमि विकास योजना के तहत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित हो, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की उपखंड अधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी और ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है । " उक्त परंतुक से यह स्पष्ट है कि उद्योग की स्थापना के लिए वर्ष 2003 के संशोधन के बाद अनुविभागीय अधिकारी से किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है और सूचना देना ही पर्याप्त है । जो दस्तावेज प्रकरण में संलग्न है उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 27–6–2003 को अनुविभागीय अधिकारी को प्रश्नाधीन भूमि पर उद्योग स्थापित करने की सूचना दी गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में पर्यावरण विभाग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने को भी अपने आदेश का आधार बनाया है जबकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष म0प्र0 शासन वाणिज्यिक कर विभाग के आशय पत्र दिनांक 29–3–2000 एवं म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण	

-7-

निग० 1491. दो/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बोर्ड भोपाल द्वारा जारी स्थापना सम्मति दिनांक 1–7–2001 प्राप्त करने के उपरांत अपने पत्र दिनांक 27–6–2003 द्वारा उद्योग स्थापित करने/विस्तार की विधिवत सूचना अनुविभागीय अधिकारी को दी गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2003 के संशोधन को अनदेखा करते हुए पुनरीक्षित डायवर्सन आदेश पारित किया जाना स्पष्टतया संहिता की धारा 172 के परंतुक का स्पष्ट उल्लंघन है, अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22–2–2006 भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–10, अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–09 एवं 19–1–07 तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–06 निरस्त किए जाते हैं तथा यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकारों को सूचित किया जाये एवं अभिलेख वापिस किया जाये । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	